वन अधिकार कानून 2006
संक्षिप्त जानकारी एवं परिचय

2006 में भारत के संसद ने वन भूमि पर निर्भर सभी समुदायों के हितों की रक्षा और उनके वन भूमि पर अधिकारों को कानूनी पहचान देने के लिए एक ऐतिहासिक एवं महत्वपूर्ण कानून पारित किया इस कानून का नाम है - "अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परगत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 व नियम 2008 व संशोधित नियम 2012 "जिसे संक्षेप में वन अधिकार कानून 2006 (Forest Rights Act & FRA, 2006) कहते हैं। इस कानून के अनुसार वन निवासी वनों के अभिन्न अंग हैं और वनों के संरक्षण, सुरक्षा एवं रख-रखाव में वन निवासियों की मुख्य भूमिका है।

हमारे जीवन का आधार, वन अधिकार

वन संसाधन और पहाड़ी जीवन

पहाड़ी लोगों के जीवन और आजीविका में वन भूमि की हमेशा से ही एक ख़ास जगह है। पुराने समय से ही पहाड़ी लोगों ने अपनी मेहनत और कुशलता से वन भूमि को उपजाऊ बनाया, खड्डों से भी कूहलें निकाली, वन भूमि के संसाधनों से व्यापार, पशुपालन और हस्तकलाओं को विकसित किया। साथ ही जंगलों के रख–रखाव व संरक्षण में भी अहम भूमिका निभायी है। रोज़मर्रा की जिंदगी और आजीविका के लिए कहीं औरतें वन भूमि से घास, चारा, पत्ती, लक्कड़ पीठ पर लिए घर को चली होती हैं तो कहीं वह बुरांस/कराल के फूल जैसे कई एक फल–फूल लाकर खाने–पकवान बनाती हैं। कई कारीगर आज भी वन भूमि से बांस ला कर टोकरी बनाते हैं तो कहीं नदी–खड्ड किनारे से गांव के लोग खच्चरों पर रेत–बजरी लेकर आते हैं। कहीं गाय, घोड़े–खच्चर शामलात या चरागाह किनारे चर रहे होते हैं तो कहीं भेड़–बकरियां, भैंसे लिए घुमंतू पशुपालक ऊँचे पहाड़ी जिलों की धारों व कंडों में होते हैं। पहाड़ी समाज के देव स्थल हो या शमशान घाट, जलावन के लिए लकड़ी हो या जड़ी बूटियां, गीत संगीत हो या खान पान; पहाड़ी समाज, संस्कृति और जीवनशैली वन भूमि व उससे प्राप्त अलग–अलग संसाधनों पर ही निर्भर रही है। ऐतिहासिक रूप से ही लोग इस भूमि का उपयोग करते आये हैं। अंग्रेजों के आने से पहले राजाओं का शासन तब ज़रूर था पर आम लोगों की रोज़मर्रा की जिंदगी, जमीन और वन भूमि से जुड़े फैसले लोग अपने साझे नियमों से लेते थे। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद क्या हुआ?

वन भूमि, लोग और कानून – क्या हुआ इतिहास में?

- **170** ***साल*** पहले अंग्रेजों ने वन विभाग का गठन किया और वन/वन–भूमि को अपने अधीन किया।
- 19वी सदी के अंत और 20वी सदी की शुरुआत : अंग्रेजों द्वारा वन बंदोबस्ती की प्रक्रिया की जाती है जिसमें वन भूमि सीमांकन किया गया और वाजिब उल अर्ज और नक़्शा हक बर्तन जैसे दस्तावेजों में सीमांकित वन भूमि पर हकदारों (बर्तनदारों, खेवतदारों) के उपयोग दर्ज किए गए।
- **1927** में भारतीय वन कानून आया जिसके कारण जिन जंगलों और ज़मीनों को लोग अपना मानते थे उस पर कड़े नियम लग गये और वनों के खुले इस्तेमाल पर रोक लगी। लेकिन शासन द्वारा लोगों के सामूहिक उपयोग/बर्तनदरी को छूट/रियायत के रूप में मान्यता दी गयी।
- **1947** में भारत देश को राजाशाही और अंग्रेजों – दोनों से मुक्ति मिल गयी पर नियम, कानून और व्यवस्था वही रही। आज़ादी के बाद यह सोच ज़ोर पकड़ने लग गई की वन भूमि की रक्षा और प्रबंधन के लिए वन विभाग अकेला ही काबिल और ज़िम्मेदार है।
- **1952** में राष्ट्रीय वन नीति के तहत हिमाचल में खेती की भूमि को छोड़ कर लगभग सारी भूमि को भारतीय वन कानून के अन्तर्गत 'संरक्षित वनों' की कानूनी श्रेणी में ला कर वन विभाग के अधीन कर दिया गया। इसके कारण लोगों के उपयोग व अधिकारों पर प्रतिबन्ध लगे।
- **1968** में हिमाचल प्रदेश सरकार ने भूमिहीन और कम भूमि वाले परिवारों को नई भूमि पर खेती के लिए काबिज़ होने का अधिकार देने के लिए ***नौतोड़ नियम*** जारी किये।
- **1972** में केंद्र सरकार ने वन्यजीव संरक्षण कानून लाया। हिमाचल की वन भूमि का 22 प्रतिशत भाग इस कानून के अंतर्गत बने संरक्षित क्षेत्रों में आने से घुमंतू पशुपालकों और अन्य समुदायों के चराई आदि अधिकारों का भारी हनन हुआ।

- **1974** में हिमाचल सरकार ने पंचायत के पास बची हुई सामूहिक चरागाह और शामलात भूमि को अपने अधीन लिया ताकि नौतोड़ में दिया जा सके लेकिन सरकार ऐसा करने में असफल रही।

- **1980** में केन्द्र सरकार ने वन संरक्षण कानून लाया जिसके चलते किसी भी तरह की 'वन भूमि' को किसी अन्य काम के लिए बिना केंद्र सरकार (पर्यावरण, वन एंव जलवायु मंत्रालय) की अनुमति के इस्तेमाल/हस्तान्तरण करना गैर–कानूनी हो गया।

वन और वन संरक्षण की नीतियों के चलते हिमाचल सरकार ने नई नौतोड़ की भूमि देना बंद कर दिया और जिनको नौतोड़ के अंतर्गत जमीन मिल भी गयी थी उनमें से कईयों को पट्टे का मालिकाना हक़ नहीं मिल पाया। इसलिए आज भी कई राजस्व जमाबंदियों में लोगों का नाजायज़ कब्ज़ा चढ़ा हुआ है। जहां खेती की जमीन दस प्रतिशत में सिमट कर रह गयी थी और बढ़ती जनसंख्या ने आजीविका भी कमानी थी, वहाँ इन वर्षों में लोगों ने अपने घर, खेती और घराल(गौशाला) के लिए छोटे–मोटे कब्ज़े किये। लेकिन लोगों के यह कब्ज़े हमेशा गैर–कानूनी माने गए और बेदखली का डर हर वक्त मंडराता रहा।

- **2002** में पर्यावरण, वन एंव जलवायु मंत्रालय ने सभी राज्यों के वन विभागों को वन भूमि पर काबिज लोगों को बेदखल करने के आदेश जारी किये जिसके कारण देश भर में वन आश्रित समुदायों, जन संगठनों, सामाजिक संस्थाओं ने सरकार से वन भूमि पर निर्भर लोगों को हक़ देने की मांग बुलंद की।

- **2002** में ही हिमाचल सरकार ने वन भूमि के व्यक्तिगत उपयोग को कानूनी मान्यता देने के लिए भूमि नियमतिकरण की नीति लायी लेकिन यह नाकाम रही क्यों की 1980 का वन संरक्षण कानून सभी वन भूमि पर लागू होता है।

- **2006** में केंद्रीय सरकार ने वन–भूमि पर निर्भर समुदायों के साथ हुए इस ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने के लिए ***अनुसूचित जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता कानून*** लाया जिसको संक्षिप्त में ***वन अधिकार कानून या FRA***

& Forest Rights Act कहते हैं। यह कानून लोगों के वन भूमि के इस्तेमाल को कानूनी मान्यता देता है।

- **2008** में इस कानून के नियम बनाये गये। हिमाचल सरकार ने इस कानून को तब केवल जनजातीय इलाकों (किन्नौर, लाहुल–स्पिति, चम्बा के पांगी व भरमौर) में लागू किया।
- **2012** में वन अधिकार कानून के संशोधित नियम लागू किये गए। साथ ही **2012** में ही हिमाचल प्रदेश सरकार ने इसे पूरे राज्य में लागू करने का निर्णय लिया।

हालांकि इस कानून को लागू हुए 1 दशक से ज्यादा हो चुका है और देश में कई राज्यों के लोगों को इससे फायदा भी मिला है लेकिन हिमाचल में इस कानून को लागू करने की प्रक्रिया आज तक बहुत ढीली व निराशाजनक रही है। इसका मुख्य कारण है प्रशासन द्वारा पहल में कमी होने के साथ लोगों में जागरूकता न होना।

यह किताब इस कानून के बारे मे जागरूकता फ़ैलाने की दिशा में एक कदम है।

आइये पहला कदम उठाएं... अपनी और आने वाली पीढ़ी के भविष्य को सुरक्षित करें और इस कानून को अपना बनाएं...

वन अधिकार कानून किन अधिकारों को मान्यता देता है?

यह कानून धारा 3(1) व (2) में उल्लेखित परम्परागत वन अधिकारों को मान्यता प्रदान करता है और निहित करता है–

1. ***व्यक्तिगत वन अधिकार :*** 13 दिसंबर 2005 से पहले व्यक्तिगत या समूह में अधिभोग के अधीन वन भूमि पर निवास (घर), या आजीविका के लिए स्वयं खेती का अधिकार। स्वयं खेती के अधिकार में खेती से जुड़े कार्य : गौशाला, बगीचा, उत्पाद के भंडारण जैसे अन्य इस्तेमाल भी शामिल हैं। (फॉर्म क भरना होगा)

2. ***सामुदायिक वन अधिकार :*** 13 दिसंबर 2005 से पहले सामुदायिक उपयोग जैसे चराई, घास, लकड़ी देवस्थल, जड़ी–बूटी, लघुवन उपज आदि के लिए इस्तेमाल की जा रही वन भूमि पर अधिकार। (फॉर्म ख)

3. ***सामुदायिक वन संसाधनों की सुरक्षा एवं प्रबंधन का अधिकार :*** सामुदायिक वन क्षेत्रों के प्रबंधन, संरक्षण एवं रख रखाव का अधिकार। (फॉर्म ग)

4. ***विकास का अधिकार :*** ग्राम सभा के पास 13 प्रकार के ग्रामीण विकास कार्यों के लिए वन भूमि हस्तांतरित करने का अधिकार है जिसमें वन भूमि का क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर (ढाई एकड़) से अधिक न हो और 75 से अधिक पेड़ न कटें।

वन अधिकार कानून के तहत कौन हकदार है?

इस कानून के तहत दो प्रकार के समुदाय हकदार हैं :

- ***अनुसूचित जनजाति*** श्रेणी के वो सदस्य या समुदाय जो वन भूमि पर प्राथमिक रूप से निवास करते हैं और रोजमर्रा या आजीविका की वास्तविक जरूरत के लिए वनों या वन भूमि पर 13 दिसंबर 2005 से पहले से निर्भर हैं। ***धारा 2(ग)***
- ***अन्य–परम्परागत वन निवासी :*** अनुसूचित जनजाति को छोड़कर अन्य सभी श्रेणी के वो सदस्य और समुदाय जो 13 दिसंबर 2005 से पहले कम से कम 3 पीढ़ियों से रहते आये हैं और रोजमर्रा या आजीविका की वास्तविक जरूरत के लिए वनों या वन भूमि पर निर्भर हैं। ***धारा 2(ण)***

'प्राथमिक रुप से निवास' से क्या अर्थ है?

'प्राथमिक रुप से निवास' के अर्थ को स्पष्ट करते हुए जनजातीय मंत्रालय ने 2008 में कहा है कि इसमें ऐसे अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी शामिल होंगे जिनका घर/निवास (स्थायी या अस्थायी) या खुद की खेती की जमीन वन में या वन भूमि पर हो भले ही वह खुद वन के अन्दर या बाहर रहते हों। लेकिन अपनी आजीविका की वास्तविक जरुरतों के लिये उनका वन भूमि पर निर्भर होना जरुरी है।

'आजीविका की वास्तविक जरुरतों' का अर्थ

आजीविका की वास्तविक जरुरतों का मतलब इस कानून की धारा 3(1) में दिये गये अधिकारों में से किसी भी अधिकार के इस्तेमाल द्वारा अपनी और अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने से है, जिसमें अतिरिक्त उत्पाद की बिक्री भी शामिल है।

उदाहरण के लिए वन भूमि के अंदर निवास और खेती, जलावन की लकड़ी इकट्ठा करना, पशुओं की चराई, गैर–इमारती वन उत्पाद जैसे चिलगोजा और जड़ी–बूटी आदि का संग्रह और बिक्री व आजीविका से जुड़े अन्य सभी प्रकार के वन उपयोग (वन्य प्राणियों के शिकार को छोडकर)।

अन्य–परम्परागत वन निवासी के सन्दर्भ में तीन पीढ़ियों के प्राथमिक निवास का अर्थ

तीन पीढ़ियों के प्राथमिक निवास का अर्थ यह नहीं है कि जिस भूमि के लिए दावा किया जा रहा है वहां तीन पीढ़ियों का निवास/उपयोग हो बल्कि समुदाय या व्यक्ति का 13 दिसम्बर 2005 से पहले तीन पीढ़ियों से वन भूमि पर आजीविका की वास्तविक जरूरतों के लिए निर्भर होने से है।

वन अधिकार कानून कहाँ पर लागू होता है?

पूरे भारत में सभी प्रकार की वन भूमि पर लागू होता है – अवग्रिकृत वन (Unclassified Forests) असिमांकित वन (UDF), साझे वन, संरक्षित वन (DPF), आरक्षित वन (Reserved), अभयारण्य और राष्ट्रीय पार्क (Sanctuary & National Park), शामलात चारागाह आदि।

हिमाचल में लगभग 70% भूमि इस श्रेणी में आती है। वन अधिकार कानून पंचायती और म्युनिसिपल दोनों क्षेत्रों में लागू होता है।

इस कानून से और क्या फायदे होंगे?

- वन अधिकार कानून अन्य सभी कानूनों से ऊपर है ***धारा 4(1)***। इसलिए जब तक वन अधिकारों की सत्यापन (जांच) और मान्यता की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तब तक वन भूमि पर बसे या आश्रित किसी भी व्यक्ति को बेदखल नहीं किया जा सकता। ***धारा 4(5)***
- ग्राम सभा को वन भूमि, वन्यजीव और जैव विविधता के बचाव और रख रखाव की जिम्मेदारी और अधिकार प्रदान करता है। ***धारा (5)***
- परम्परागत और पुश्तैनी समय से इकठ्ठा किये जा रहे गौड़ वन उत्पादों पर मालकिना हक़, पहुँच, उन्हें इकठ्ठा करने, उपयोग करने और बेचने का अधिकार देता है। ***धारा 3(1)(ग)***
- किसी भी परियोजना के निर्माण जिसमें किसी भी प्रकार की वन भूमि का हस्तांतरण किया जा रहा हो, के लिए ग्राम सभा से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) देने/न देने का अधिकार देता है।

वन अधिकारों को मान्यता मिलने की प्रक्रिया

1. **ग्राम पंचायत बैठक**: कितने गांव/मोहाल में वन अधिकार समितियों का गठन होना है व ग्राम सभा आयोजन की दिनांक का प्रस्ताव ग्राम पंचायत पारित कर उप-मंडल स्तरीय समिति को प्रेषित करेगी ।

2. **वन अधिकार समिति का गठन:** गाँव स्तर पर ग्राम सभा का आयोजन जिसमें व्यक्तिगत और सामूहिक वन अधिकार दावों का आमंत्रण एवं स्वीकार अवधि का निर्धारण।

3. **वन अधिकार समिति की बैठक:** अपने गांव में दावों को आमंत्रित करने के लिये प्रचार; सामूहिक वन अधिकार दावों (फ़ार्म 'ख' व 'ग') को तैयार करने की प्रक्रिया शुरू; दावेदारों द्वारा भरे व्यक्तिगत दावा फ़ार्म 'क' लेने के लिए वन अधिकार समिति के सचिव को अधिकृत करेगी।

4. **साझी ग्राम सभाओं की वन अधिकार समिति के सदस्यों की बैठक:** जिन ग्राम सभाओं के साथ साझे हक बर्तन हैं उनके साथ वन अधिकारों व उनकी सीमाओं पर सहमति बनाना व प्रस्ताव पारित करना।

5. **वन अधिकार समिति की अगली बैठक:** सभी व्यक्तिगत दावेदारों के दावा-प्रपत्रों (फ़ार्म 'क') का निर्धारित तिथि के अंदर जमा होना सुनिश्चित; सामूहिक व व्यक्तिगत दावों का संकलन होने के बाद प्राप्त दावों पर जांच-पड़ताल के लिये राजस्व व वन विभाग के अधिकारियों को सूचित करना।

6. **जांच पड़ताल की कार्यवाही:** जांच-पड़ताल के दिन सामूहिक और व्यक्तिगत दावों के स्वरूप, विस्तार और साक्ष्यों की मौके पर जांच/सत्यापन कर, जांच-पड़ताल रिपोर्ट बना कर ग्राम सभा में पेश करेंगे।

7. **ग्राम सभा बैठक:** ग्राम सभा जांच पड़ताल रिपोर्ट की पुष्टी कर उसे पारित कर, व्यक्तिगत और सामुहिक दावों को स्वीकार/अस्वीकार कर, स्वीकार हुए दावों पर सर्वसम्मति से उचित प्रस्ताव पारित करेगी व उप-मंडल स्तरीय समिति को भेजेगी।

8. **उप-मंडल स्तरीय समिति की बैठक:** ग्राम सभा द्वारा सौंपे गए दावों का सत्यापन कर समिति दावों को स्वीकार करेगी और जिला स्तरीय समिति को भेजेगी। यदि समिति दावों को स्वीकार नहीं करती है तो लिखित कारणों के साथ सम्बन्धित ग्रामसभा को पुर्ननिरिक्षण के लिये भेजेगी।

9. **ज़िला स्तरीय समिति की बैठक:** जिला स्तरीय समिति दावों पर विचार करेगी, स्वीकार करेगी, अधिकारों पर पट्टा (टाइटल) जारी करेगी। यदि दावों को अस्वीकार करेगी तो संबंधित उप-मंडल स्तरीय समिति को पुर्नविचार के लिये भेजेगी।

व्यक्तिगत वन अधिकार दावों के लिए जरुरी साक्ष्य/दस्तावेज (फ़ार्म 'क' भरने के लिए)

- पहचान पत्र – वोटर कार्ड/आधार कार्ड/स्थायी प्रमाण पत्र और राशन कार्ड/परिवार रजिस्टर की नक़ल आदि
- अगर अनुसूचित जनजाति से हैं : तो अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र
- अगर अन्य परम्परागत वन निवासी हैं तो क्षेत्र में 3 पीढ़ियों से निवास साबित करने के लिए दावेदार निम्न में कोई 3 सबूत लगा सकते हैं : ***1. व्यक्तिगत स्तर पर वंशावली; 2. समुदाय स्तर पर गैजट रिपोर्ट, सेन्सस रिपोर्ट; 3. बुजर्ग व्यक्तियों (जो खुद दावेदार न हो) की गवाही***
- दावा की गयी वनभूमि का पर्चा ततीमा जिससे क्षेत्रफल का पता चल सके। अगर जमाबंदी में दर्ज है तो उसकी नक्ल
- दावा भूमि का नजरी नक्शा
- 13 दिसम्बर 2005 से पहले का वनभूमि का उपयोग साबित करने के लिए निम्न में से कोई दो सबूत–
  - » उस भूमि का कोई कोर्ट केस, भूमि के लिये अन्य किसी कानून के अन्दर भरा कोई भी आवेदन फ़ार्म, वन विभाग की डैमेज रिपोर्ट, 13 दिसम्बर 2005 से पहले की बिजली/पानी बिल, खेत में डंगे/खड़े–पेड़ों/खेत/घर की पुरानी फ़ोटो, बुजर्ग व्यक्तियों की गवाही (एक से ज्यादा बुजुर्ग व्यक्ति), 2002 में भरा गया मिसल फ़ार्म, गूगल सेटेलाईट से प्राप्त फोटो।
  - » दावेदार को स्वयं कानून अनुसार दस्तावेजों को लगा कर वन अधिकार समिति को अपना दावा फ़ार्म 'क' भर कर जमा करना होगा और एक प्रति अपने पास रखें।

सामुदायिक वन अधिकार दावों के लिए जरुरी साक्ष्य/दस्तावेज (फ़ार्म 'ख' और 'ग' भरने के लिए)

- वन बंदोबस्त की कॉपी
- वाज़िब–उल–अर्ज़ की कॉपी
- कम्पार्टमेंट हिस्ट्री फाइल
- नक्शा–हक़–बर्तन
- ट्रांजिट रुल्स
- सेन्सस रिपोर्ट 2011

जिन ज़िलों/क्षेत्रों में नक़्शा हक़ बर्तन दस्तावेज़ उपलब्ध है वहां फ़ार्म 'ख' इसी दस्तावेज़ के हिसाब से भरें क्योंकि इसमें खसरा संख्या, क्षेत्रफल और सभी वन अधिकार स्पष्ट रूप से लिखे हुए हैं।

जिन ज़िलों/क्षेत्रों में नक़्शा हक़ बर्तन दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं है वहां वाज़िब–उल–अर्ज़ और वन बंदोबस्त रिपोर्ट से वन अधिकारों की पूरी जानकारी और पूरे गांव की ज़मबंदी से खसरा संख्या व क्षेत्रफल की जानकारी फ़ार्म 'ख' में भर सकते हैं।

लेकिन फ़ार्म 'ख' में घुमंतू पशुपालकों की जानकारी, धार्मिक स्थान, जैव विविधता और पारम्परिक ज्ञान की जानकारी अलग से जरूर भरें। वन अधिकार समिति ग्राम सभा की ओर से सामूहिक वन अधिकार की फाइल तैयार करेगी।

इस कानून के अंतर्गत बनी अलग–अलग समितियां और उनके कर्तव्य

इस कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये विभिन्न स्तरों जैसे गाँव, उपमंडल, जिला व राज्य स्तर पर समितियों का गठन किया गया है।

ग्राम सभा और उसके मुख्य कार्य

गाँव/मुहाल/टोला/तोक स्तर पर ग्राम–सभा गठित होती है जिसमें सभी 18 साल से बड़े व्यक्ति सदस्य होते हैं। ग्राम सभा का कोरम कुल व्यस्क सदस्यों का 1/2 होगा, जिसमें 1/3 महिलाओं की उपस्थिति अनिवार्य है। कानून के अन्तर्गत गठित ग्राम सभा को एक सशक्त भूमिका दी गयी है और लोगों की भागीदारी पर जोर दिया गया है।

- वन अधिकार समिति का गठन करना।
- पात्र दावेदारों से वन अधिकार के दावे आमंत्रित करने व वन अधिकार समिति को इनको स्वीकार करने के लिए अधिकृत करना।
- वन अधिकार समिति को सामुदायिक दावे पत्रों के लिए साक्ष्य इत्यादि इकठ्ठा व इनको भरने के लिए अधिकृत करना।
- वन अधिकार के दावों की जांच पड़ताल रिपोर्ट को सुनना व दावों को स्वीकार/अस्वीकार कर के प्रस्ताव पारित करना।
- किसी भी तरह के कार्य के लिए वन भूमि हस्तांतरण पर विचार–विमर्श करके स्वीकृति/अस्वीकृति पर प्रस्ताव करना।
- उपमंडल स्तरीय समिति की तरफ से वन अधिकार के दावे करने के लिए फ़ार्म क,ख,ग हासिल करना। अधिकार के साथ–साथ यह कानून ग्राम सभा को अपने वनों के संरक्षण की ज़िम्मेदारी भी देता है।
- वन, वन्यजीव और जैव–विविधता संरक्षण समिति का गठन करना।

वन अधिकार समिति (FRC) की भूमिका

ग्राम सभा द्वारा गठित इस समिति में कम से कम 10 व अधिकतम 15 सदस्य चुने जाएंगे जिसमें 2/3 जनजाति समुदाय से व 1/3 महिलाओं का होना अनिवार्य है। अगर जनजातीय समुदाय के निवासी नहीं हैं, तो अन्य परंपरागत वन निवासी (सभी गैर जनजातिय समुदाय) इस समिति के सदस्य होंगे; 1/3 महिलाओं की भागीदारी जरूरी है। अनुसूचित जातियों से आबादी के अनुपात में इस समिति में सदस्य शामिल किए जायें। वन अधिकार समिति अपने में से एक सचिव व एक अध्यक्ष का चयन करती है।

- वन अधिकार कानून को लागू करने में गांव स्तर कि ग्राम सभा की सहायता करना।
- अपने कार्यों के संदर्भ में समय–समय पर अपनी बैठकें व कार्यवाही करना, समिति के सचिव द्वारा कार्यवाही रजिस्टर पर कार्यवाही लिखना।
- उपमंडल स्तरीय समिति से साक्ष्य के लिए जरूरी दस्तावेजों के लिए आवेदन करना।
- वन अधिकार के सामूहिक दावे (फ़ार्म 'ख' व 'ग') भरना और निजी अधिकार के दावे पत्र (फ़ार्म 'क') आमंत्रित व स्वीकार कर रसीद देना। प्राप्त दावों का दस्तावेजीकरण व समायोजन करना।
- सभी प्राप्त दावों का मौके पर जा कर सत्यापन करना।
- प्राप्त दावों के सत्यापन के लिए वन, राजस्व विभाग व पंचायत के पदाधिकारियों को निर्धारित तिथि को गांव में आमंत्रित करना। सत्यापन की रिर्पोट लगा कर दस्तावेज़ को ग्राम सभा के समक्ष सत्यापन व अंतिम स्वीकृति के लिए पेश करना।
- साझा अधिकार होने की स्थिति में वन अधिकार समितियों की साझी बैठक कर वन अधिकारों पर साझी सहमती बनाना।

वन अधिकार कानून के अंतर्गत पंचायत स्तर के प्रतिनिधियों की क्या भूमिका है ?

इस कानून के तहत पंचायत की केवल यह भूमिका है की पंचायत प्रतिनिधि वन अधिकार कानून के तहत अपने पंचायत क्षेत्र में गांव स्तर पर कितनी वन अधिकार ग्राम सभाओं का गठन किया जाना है यह तय करेंगे और हर गांव के लिए पहली वन अधिकार ग्राम सभा की बैठक का स्थान व दिनांक तय करेंगे। साथ ही इस नोटिस की एक प्रतलिपि उपमंडल स्तरीय समिति को भेजेंगे। यह सूची बाद में पंचायत सभा में भी दी जा सकती है। तय अनुसार ही पंचायत प्रतिनिधि हर ग्राम सभा की बैठक सुनिश्चित करवाएगा।

वन अधिकार ग्राम सभा बैठक में 50% ग्राम सभा सदस्यों का उपस्थित होना आवश्यक है जिसमें 1/3 महिला सदस्यों का उपस्थित होना अनिवार्य है।

उपमंडल स्तरीय समिति (SDLC)

उपमंडल स्तर पर इस समिति के 6 सदस्य जिसमें 3 सरकारी और 3 ब्लॉक समिति के सदस्य होंगे। समिति के अध्यक्ष उपमंडल अधिकारी होंगे। इनमें दो सदस्य अनुसूचित जनजाति समुदाय के (और जहाँ अनुसूचित जनजाति नहीं है वहां दो सदस्य अन्य परम्परागत वन निवासी) और एक महिला सदस्य होगी।

- वन भूमि पर निर्भर लोगों/समुदायों को कानून में लिखित उद्देश्य व प्रक्रिया की जानकारी देना।
- ग्राम सभा के सदस्यों को वन्यजीव, वन और जैव विविधता के संरक्षण व सुरक्षा से जुडी जिम्मेदारियों की जानकारी देना।
- ग्राम सभा या वन अधिकार समितियों को वनों व राजस्व नक़्शे, दाव फ़ार्म ('क', 'ख' व 'ग') और अन्य जरूरी दस्तावेज़ उपलब्ध करवाना।
- वन अधिकार दावों व नक्शों की समीक्षा व सत्यापन करना।
- ग्रामसभा द्वारा दिए गए सभी नक़्शे, जानकारी व प्रस्तावों का ब्योरा फाइल में तैयार करना।
- वन अधिकारों के स्वरुप व उनके क्षेत्रफल को लेकर ग्राम सभाओं के बीच मतभेद का निपटारा करना।
- ग्राम सभा के प्रस्ताव से असंतुष्ट कोई व्यक्ति या राज्य एजेंसी की याचिका की सुनवाई करना।
- एक से अधिक उप–मंडलों में आने वाले दावों के लिए, उनकी उप–मंडल स्तरीय समितियों के साथ समन्वय करना। ब्लाक या तहसील स्तर पर सभी सरकारी दावों को जुटाने व देखने के बाद रिकॉर्ड ऑफ़ राइट्स का प्रस्ताव बना कर उसे जिला स्तरीय समिति को भेजना।

जिला स्तरीय समिति (DLC)

जिला स्तर पर गठित 6 सदस्यों की समिति जिसमें 3 सरकारी और 3 जिला पंचायत के सदस्य होंगे। समिति अध्यक्ष जिला उपायुक्त होंगे। इनमें दो सदस्य अनुसूचित जनजाति समुदाय के (और जहाँ अनुसूचित जनजाति नहीं है वहां दो सदस्य अन्य परम्परागत वन निवासी) और एक महिला सदस्य होगी।

- जिला स्तरीय समिति वन अधिकार के दावों और प्रस्तावित रिकॉर्ड ऑफ़ राइट्स पर अंतिम निर्णय लेगी और पट्टे जारी करेगी।
- पारित वन अधिकारों का सरकारी दस्तावेजीकरण करना और रिकॉर्ड ऑफ़ राइट्स में प्रकाशन करना।
- अन्य जिला स्तरीय समितियों के साथ एक से ज्यादा जिलों में लगते दावों का समन्वय।
- उपमंडल स्तरीय समिति के निर्णय से आपत्ति होने पर प्राप्त याचिका पर सुनवाई।
- घुमन्तु पशुपालकों, चारागाहों और अन्य वंचित समुदायों के दावों को भरा गया है यह सुनिश्चित करना।
- उपमंडल स्तरीय समिति द्वारा ग्राम सभाओं को सभी जरूरी दस्तावेज़ जैसे वन/राजस्व नक़्शे उपलब्ध करवाए गए हैं यह सुनिश्चित करना।

राज्य स्तरीय निगरानी समिति (SLMC) के मुख्य कार्य

10 सदस्यों की समिति जिसके अध्यक्ष प्रमुख सचिव होंगे व सचिव कमिश्नर जनजातीय विभाग से होंगे और 3 गैर सरकारी सदस्य ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी से होंगे।

- राज्य स्तर पर वन अधिकारों को मान्यता देने, जांचने व उनको निहित करने की प्रक्रिया की निगरानी करना।
- धारा 8 के तहत नोटिस प्राप्त होने पर मामले को जांचना और सम्बंधित अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्यवाही करना।
- नेशनल पार्क, सैंक्चुअरी के सन्दर्भ में संकटग्रस्त वन्यजीव आवासों के मसले में पुनर्वास की प्रक्रिया कि निगरानी करना।
- जमीनी स्तर पर कानून के क्रियान्वयन में आयी दिक्कतों और दावों की मौजूदा स्थिति पर चर्चा के लिए तीन माह में एक बैठक करेना।
- केंद्र सरकार को दावों की मौजूदा स्थिति और उसके आँकड़ों व कारणों सहित तिमाही रिपोर्ट भेजना।

वन अधिकार कानून की प्रक्रिया कौन देखेगा और इसे लागू करने की जिम्मेदारी किसकी है?

केंद्रीय स्तर पर वन अधिकार कानून को लेकर निर्देश जारी करने का अधिकार सिर्फ 'जनजातीय मामलों के मंत्रालय' (Ministry of Tribal Affairs & MoTA) के पास है क्योंकि इसे कानून के क्रियान्वयन की नोडल एजेंसी माना गया है। हिमाचल प्रदेश में इस कानून को लागू करने की ज़िम्मेदारी पंचायती राज एवं जनजातीय विभाग की है। वन विभाग या किसी भी अन्य विभाग द्वारा इस कानून को लेकर कोई भी मुख्य दिशा–निर्देश नहीं दिए जा सकते।

वन अधिकार कानून से जुड़े भ्रम और इनके कानूनी स्पष्टीकरण/जवाब

1. हिमाचल में तो बंदोबस्ती (अधिकारों के सेटलमेंट) की प्रक्रिया पहले ही हो चुकी है तो क्या फिर भी राज्य में वन अधिकार कानून लागू होगा?

बंदोबस्ती के समय हुई सेटलमेंट की प्रक्रिया में वन भूमि पर दिए गए अधिकार रियायत/छूट/कंसेशन के रूप में दिए गए जिन्हें वन अधिकार कानून कानूनी मान्यता देते हुए कानूनी रूप में दर्ज करता है। हिमाचल में बंदोबस्त के समय दिए गए अधिकार वाजिब–उल–अर्ज और नक़्शा–हक़–बर्तन नाम के दस्तावेजों में दर्ज किये गए हैं। इन दस्तावेजों में दिए सभी अधिकार वन अधिकार कानून के तहत कानूनी अधिकार के रूप में दर्ज किए जाएंगे। साथ ही यह दोनों दस्तावेज, वन अधिकार के दावा भरने की प्रक्रिया में सबूत की तरह माने जाएंगे।

हिमाचल में वन बंदोबस्त की प्रक्रिया 20वीं शताब्दी की शुरुआत में हुई थी जिसके बाद 100 से भी ज्यादा साल निकल चुकें हैं और इस बीच वन भूमि में कई परिवर्तन आये हैं। वन अधिकार कानून धारा 3(1) के खंड (ख)(ग)(घ)(छ) के तहत पहले से मौजूद वन अधिकारों को मान्यता देता है और धारा 3(1)(ञ)(ठ) के तहत वो सभी अधिकार जो किसी भी राज्य सरकार या परम्परगत कानून के तहत दिए गए हैं उनको पहचान और मान्यता प्रदान करता है। साथ ही धारा 3(1)(झ) के तहत ग्राम सभा को वनों की सुरक्षा, प्रबंधन व संरक्षण का भी अधिकार देता है।

2. अन्य परम्परागत वन निवासी में आने वाले दावेदार और उनके पूर्वजों को एक ही गांव में 75 वर्ष से निवास करना जरूरी है?

नहीं, धारा 2(ण) देखिये। दावेदारों को सिर्फ यह साबित करना होगा कि वह इलाके में किसी भी प्रकार की वन भूमि पर आजीविका कि वास्तविक जरूरतों के लिए 13 दिसम्बर 2005 से पहले 75 वर्षों से निर्भर हैं। एक बार

यदि समुदाय स्तर पर यह स्थापित हो चुका है कि वह समुदाय 'अन्य परम्परागत वन निवासी' हैं तो समुदाय के हर दावेदार को अलग से यह साबित करने की ज़रुरत नहीं है।

3. क्या हिमाचल के लोग इस कानून के तहत वन निवासी माने जायेंगे?

यह कानून दो प्रकार के समुदायों को वन निवासी मानता है : अनुसूचित जनजाति और अन्य परपरागत वन निवासी। हिमाचल में दोनों ही समुदाय के लोग रहते हैं। याद रहें आप वन निवासी कहलायेंगे अगर :

आप इन में से एक समुदाय से हैं और किसी भी प्रकार की वन भूमि पर *व्यक्तिगत या सामुदायिक आजीविका की वास्तविक जरूरतों के लिए 13 दिसम्बर 2005 से पहले प्राथमिक रूप से निर्भर हैं।*

4. क्या ऐसे परिवार जहाँ कोई सदस्य स्थायी या सरकारी नौकरी करता हो वह भी वन अधिकार दावा भर सकते हैं?

वन अधिकार कानून के प्रावधानों में यह कहीं नहीं कहा गया कि वन पर निर्भर समुदाय अपनी आजीविका के लिए सिर्फ वनों पर निर्भर हों या वो परिवार/लोग पात्र नहीं जिनकी आजीविका वन भूमि के अलावा अन्य स्रोतों से भी आती हो। हिमाचल में अधिकतर परिवार ऐसे हैं जहाँ परिवार का कोई सदस्य स्थायी या सरकारी नौकरी में है लेकिन वहां अभी भी आजीविका और दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए परिवार के अन्य सदस्य वनों पर निर्भर हैं और गांव में ही रहते हैं। ऐसे में दावेदार, परिवार का वही व्यस्क सदस्य होगा जो नौकरी में न हो और जो गांव में रह कर वनों पर निर्भर हो।

5. क्या आजीविका की वास्तविक जरूरतों का मतलब केवल खुद के जीवन निर्वाह के लिए उपयोग से है?

नही, कानून में कोई ऐसा प्रावधान नही है बल्कि कानून के अनुसार वास्तविक जरूरतों में वन भूमि से मिलने वाले

उत्पादों की बिक्री भी शामिल है। जैसे सेब, चिलगोजा और अन्य गौण वन उत्पाद।

गौण वन उत्पाद से मतलब है – वनों में पायी जाने वाली सभी गैर इमारती वन उपज जैसे – जड़ी बूटी, फल–फूल, साग–सब्जी, जलाऊ लकड़ी, बांस, चारा–पत्ती आदि। (धारा 2(झ))

वन अधिकार कानून परम्परागत और पुश्तैनी समय से इकठ्ठा किये जा रहे गौण वन उत्पादों पर मालकिना हक़, पहुँच, उन्हें इकठ्ठा करने, उपयोग करने और बेचने का अधिकार देता है। (धारा 3(1)(ग))

6. क्या वन संसाधनों पर इस प्रकार के अधिकार मिलने से वनों को नुकसान होगा?

वन अधिकार कानून की धारा 5, वन अधिकार धारकों, ग्राम सभा व गांव स्तर की संस्था को यह शक्ति व ज़िम्मेदारी देती है की वो वनों, वन्यजीवों, जल स्रोतों, जलागम क्षेत्र, जैव विविधता और 'सांस्कृतिक व प्राकृतिक धरोहर' की रक्षा कर सके। खासकर, धारा 5(घ) ग्राम सभा को किसी भी ऐसी गतिविधि को रोकने का अधिकार देता है जिससे वन, वन्यजीव, जैव विविधता को नुकसान हो रहा हो। नियम 4(1)(ङ) के अंदर बनी वन संरक्षण समिति लघु वन उत्पादों को एक जगह से दूसरी जगह भेजने/बेचने के लिए ट्रांसिट परमिट जारी करेगी। इससे जुड़े सारे निर्णय ग्राम सभा कि मंजूरी से लिए जाएंगे।

वन अधिकार कानून के बारे में सबसे बड़ी गलतफ़हमी यह है कि यह जमीन बांटने वाला कानून है जिसमें हर परिवार को 4 हैक्टेयर भूमि बांटी जाएगी। यह सरासर गलत है और इस कानून के बारे में भ्रम है। वन अधिकार कानून केवल उस वन भूमि पर अधिकार का पट्टा देता है जिस पर दावेदार का कब्ज़ा 13 दिसंबर 2005 से पहले का है और जो भूमि परम्परागत रूप से लोगों के उपयोग में है। कानून में दावों के मान्यता की प्रक्रिया क्रमवार स्पष्ट की गयी है और निर्णय प्रक्रिया में ग्राम सभा तथा अन्य समितियों की भूमिका दी गयी है ताकि केवल पात्र दावेदारों को ही अधिकार मिले।

7. वन अधिकार कानून के तहत मिले पट्टे को क्या हकदार बेच सकता है?

नहीं, वन अधिकार कानून की धारा 4(4) के अनुसार प्राप्त पट्टे पर अधिकार पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत में जाएंगे परन्तु किसी और को बेचे या हस्तांतरित नहीं किये जा सकते। यह एक हस्ताक्षरित दस्तावेज के रूप में सही धारकों में पति–पत्नी दोनों के नाम से संयुक्त रूप से पंजीकृत किया जाएगा और जमाबंदी में दर्ज होगा।

8. वन अधिकार कानून वन भूमि से हकदारों की बेदखली से कैसे सुरक्षा प्रदान करता है?

वन अधिकार कानून की धारा 4(5) में स्पष्ट करता है कि जब तक वन अधिकारों के दावों की जांच और मान्यता की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तब तक किसी भी दावेदार को उसकी भूमि से बेदखल नहीं किया जा सकता। इसके लिए यह जरूरी है कि आप ने अपना दावा वन अधिकार समिति को पेश कर दिया हो। याद रहे कि धारा 4(1) के तहत वन अधिकार कानून बाकी सभी नियम, कानूनों तथा कोर्ट के आदेशों से ऊपर है।

9. वन अधिकार कानून को लागू करने के लिए कोई समय सीमा है क्या?

नहीं, कानून को लागू करने के लिए ऐसी कोई समय सीमा नहीं रखी गयी। कानून की जानकारी के अभाव में लोग इसके लाभ से वंचित न हों इसलिए कोई ठोस समय सीमा का प्रावधान कानून में नहीं है। दावे बुलाने की प्रक्रिया के लिए ग्राम सभा 90 दिन तक का समय दे सकती है। परन्तु ज़रुरत पड़ने पर इस अवधि को बढ़ा भी सकती है। इसीलिए सही यही होगा कि ग्राम सभा अपने हिसाब से समय सीमा निर्धारित करे या बदले। लेकिन कानून इस बारे में स्पष्ट है कि उन्हीं दावों/दावेदारों को जायज़ माना जाएगा जो कि 13 दिसंबर 2005 से पहले से वनभूमि पर निर्भर हैं।

10. वन अधिकार ग्राम सभा क्या पंचायत ग्राम सभा से अलग है?

हाँ, बिलकुल।

वन अधिकार कानून के तहत ग्राम सभा का गठन गांव स्तर पर किया जाता है ताकि 50% कोरम पूरा करने में दिक्कत न हो। हिमाचल में वन अधिकार ग्राम सभा का गठन राजस्व गांव स्तर पर किया जा चुका है। लेकिन अगर कोरम पूरा करने में दिक्कत आ रही हो तो इस कानून में ग्राम सभा को उप–गांव जैसे पत्ती या टोला स्तर पर भी गठित करने का प्रावधान है।

11. वन अधिकार कानून के तहत घुमंतू पशुपालक के दावे कैसे भरे जाएंगे?

हिमाचल के घुमंतू पशुपालक में गद्दी, गुज्जर, किन्नौरा अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में आते हैं और दूसरे घुमंतू पशुपालक जो चंबा, मंडी, काँगड़ा, कुल्लू, शिमला जिलों में फैले हैं वो अन्य परम्परागत वन निवासी की श्रेणी में शामिल हैं। वन अधिकार कानून भी इनके अधिकारों को बहुत महत्त्व देता है–

1. धारा 2(ग) में वन निवासी की परिभाषा में घुमंतू पशुपालकों का ख़ास ज़िक्र है।
2. धारा 3(1)(घ) में घुमंतू पशुपालकों के चरागाहों और जंगलों में अधिकार को स्पष्ट किया गया है।
3. धारा 2(क) में घुमंतू पशुपालकों के पारम्परिक मौसमी चरागाह को सामुदायिक वन संसाधन माना गया है जिसमें वन्यजीव सैंक्चुरी और नेशनल पार्क जैसे संरक्षित क्षेत्र भी शामिल हैं।

घुमंतू पशुपालक समुदाय के लोग अपनी ग्राम सभा से अपना दावा भर सकते हैं। जिन भी गांव से घुमंतू पशुपालक पशु चराई करते हुए जाते हैं और जहाँ उनके अस्थायी चराई के अधिकार हैं, वह हर उस ग्राम सभा में अपना दावा भर सकते हैं।

घुमंतू पशुपालक चूंकि चराई के कारण अपने पशुओं के साथ एक जगह से दुसरे जगह आते–जाते रहते हैं इसलिए–

1. नियम 12(1)(ग) के अनुसार वन अधिकार समिति को यह सुनिश्चित करना है की घुमंतू पशुपालक समुदाय के लोगों के वन अधिकार दावे जरूर शामिल किये गए हैं। दावों पर ग्राम सभा में निर्णय तब ही लिया जायेगा जब इस समुदाय के व्यक्ति/दावेदार/प्रतिनिधि वहाँ मौजूद हों।
2. नियम 8(ग) के तहत, जिला स्तरीय समिति घुमंतू पशुपालक के अधिकारों को सुनिश्चित करेगी और दावा भरने में पूरी मदद करेगी।

12. यदि वन अधिकार दावे ग्राम सभा या किसी समिति द्वारा खारिज किये जाते हैं तो क्या करें?

कानून और नियमों में यह स्पष्ट है कि कोई भी समिति या ग्राम सभा को दावे खारिज करने के कारणों को लिखित में दावेदारों को देना होगा। वन अधिकार कानून में कोई भी व्यक्ति/दावेदार/संस्था यदि किसी भी निर्णय से असंतुष्ट हैं तो उस निर्णय को चुनौती देने के लिए अपनी आपत्ति लिखित रूप में दर्ज कर सकते हैं। कानून की धारा 6, 7, 8 में अपील/याचिका दायर करने की प्रक्रिया को बताया गया है। वन अधिकार कानून के तहत दावों के मान्यता के सन्दर्भ में ज़िला स्तरीय समिति का निर्णय अंतिम और बाध्य होगा। जिला स्तरीय समिति के निर्णय से असंतुष्टि पर किसी भी न्यायालय में अपनी याचिका दायर कि जा सकती है। ग्राम सभा या किसी भी समिति के निर्णय में यदि वन अधिकार कानून के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन हो तो वन अधिकार कानून की धारा 8 के तहत राज्य स्तरीय निगरानी समिति के सामने कोर्ट जाने से पूर्व याचिका/आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं।

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें

अपने क्षेत्र में वन अधिकार कानून के बारे में प्रशिक्षण करने, प्रशिक्षण सामग्री और अधिक जानकारी के लिए आप अपने एस डी एम (वन अधिकार कानून के तहत उपमंडल स्तरीय समिति के अध्यक्ष) से सम्पर्क कर सकते हैं।

वन अधिकार कानून के क्रियान्वनय को लेकर यदि आप को कोई शिकायत है तो इस कानून के तहत नोडल एजेंसी व विभागों को शिकायत कर सकते हैं।

नोडल एजेंसी : जनजातीय कार्य मंत्रालय

पता : सचिव
जनजातीय कार्य मंत्रालय
शास्त्री भवन, नई दिल्ली–110001

हिमाचल प्रदेश में इस कानून को लागू करने की जिम्मेदारी पंचायती राज विभाग व जनजातीय विकास विभाग की है।

सचिव पंचायती राज विभाग ब्लॉक नंबर – 27, एस डी ए काम्प्लेक्स कसुम्पटी, शिमला – 9	प्रमुख सचिव जनजातीय विकास विभाग बिजलानी हाउस, छोटा शिमला – 171002

क्रमांक	क्षेत्र	मोबाइल नंबर	संपर्क व्यक्ति
1	लाहौलज	9418118889, 9418550400, 9418542968	प्रेम कटोच, रिगजिन हायरप्पा, बिशन मेरुपा
2	स्पिति	8770277189, 9459186762	सोनम तार्गे, ताक्पा तेनजिन
3	किन्नौर	9736760022, 9816033051, 94184407667	जिया लाल नेगी, आर.एस नेगी, शांता कुमार नेगी
4	कुल्लू	9816357623, 9459021415	मोती राम, सुमित
5	शिमला	9816000003, 9867348307	उमा महाजन, हिमशी सिंह
6	मंडी	9805093335, 9857157003, 9418943021, 8217226256	भगत राम, रविकांत, काहन सिंह, अदिति
7	सिरमौर	8219004969, 8894518748	गुलाब सिंह, धनीराम शर्मा
8	कांगड़ा	9459532650, 9817290200, 9805229427	अनीता भट्ट, राजू भट्ट, लाल सिंह,
9	हमीरपुर	9805601363 9816776027	बिमला विश्वप्रेमी, अजय कुमार
10	चंबा	9816962462, 9816158744	लाल हुसैन, मनोज
11	हिमाचल प्रदेश	9805030820, 8894090626, 7649959002, 8627085766, 8988275737	अक्षय जसरोटिया, सुखदेव विश्वप्रेमी, पवना, प्रकाश भंडारी, मानशी अशर

हिमधरा पर्यावरण समूह द्वारा जनहित में जारी

YouTube Endangered Himalaya

www.himdhara.org

endangered_himalaya

Endangered Himalaya

8627085766 8988275737
8217226256 9867348307

सहयोग राशि – ₹20